पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

PTCUL

पत्रांकः 1535 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ईओ–13 दिनांक :23.07.2018

परिपत्र

कृपया संज्ञान में लाना है कि वर्तमान तक अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं का मूल्यांकन पूर्ववर्ती परिषदादेश संख्या 1327–का.वि.नी./राविप–79/96–14 काविनी/87 दिनांक 11 जुलाई, 1996 में निहित प्राविधानानुसार किया जाता है।

उक्त परिषदादेश संख्या 1327 दिनांक 11 जुलाई, 1996 में वार्षिक गोपनीय आख्याओं का मूल्यांकन निम्नानुसार प्राविधानित हैः–

1. उत्कृष्ट (आउट स्टेडिंग) – 20 अंक
2. अति उत्तम (वेरी–गुड) – 16 अंक
3. उत्तम (गुड) – 12 अंक
4. सामान्य (फेयर–सेटिसफेक्टरी)– 06 अंक
5. खराब (पुअर) – कोई अंक नहीं

प्रतिवेदक, समीक्षक एवं अन्तिम प्राधिकारी द्वारा दी गई भिन्न–भिन्न कोटियों के आधार पर निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाना प्राविधानित है :–

1. प्रतिवेदक अधिकारी – 20 प्रतिशत
2. समीक्षक अधिकारी – 30 प्रतिशत
3. अन्तिम प्राधिकारी – 50 प्रतिशत

वर्तमान तक अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं का मूल्यांकन उपरोक्त परिषदादेश में निहित प्राविधानों के अनुरूप उनके प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी एवं अन्तिम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है तथा अधिकारी द्वारा अपना स्वांकन प्रपत्र निर्धारित वार्षिक गापेनीय आख्या प्रपत्र के साथ प्रेषित किया जाता है।

उपरोक्त परिषदादेश तथा यथासंशोधित आदेशों में निहित प्राविधानानुसार :–

1. **मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II तथा अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष पदों हेतु चयन का मापदण्ड** "ज्येष्ठता" के साथ साथ "श्रेष्ठता" भी है। श्रेष्ठता प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों को श्रेणीवार तीन श्रेणियों में बाँटा गया है।

(i) **श्रेणी– 1** : 90 प्रतिशत या 180 अंक अथवा अधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी–प्रथम में वर्गीकृत होंगे।

(ii) **श्रेणी– 2** : मुख्य अभियन्ता (स्तर–I) एवं समकक्ष पद हेतु 70 प्रतिशत अर्थात 140 अंक

तथा

मुख्य अभियन्ता (स्तर–II) एवं समकक्ष पद हेतु 65 प्रतिशत अर्थात 130 अंक

तथा

अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष पद हेतु 60 प्रतिशत अर्थात 120 अंक

(iii) **श्रेणी– 3** : श्रेणी–2 में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मापदण्डों से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी श्रेणी–3 में वर्गीकृत होंगे।

क्रमशः.........पेज–2/–

2. **मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II तथा अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष पदों से निम्न स्तर के पदो** के अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल की 62वीं बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं का मूल्यांकन KPI (Key Performance Indicator) के आधार पर किया जायेगा।

निदेशक मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पिटकुल प्रबन्धन द्वारा सभी विभागों के मुख्य कार्यो, कारपोरेशन के लक्ष्यों को दृष्टिगत् रखते हुए प्रत्येक विभागवार उपलब्ध कराई गई KPI (Key Performance Indicator) के आधार पर तैयार की गयी है।

तदोपरान्त अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं का मूल्यांकन KPI (Key Performance Indicator) के आधार पर किये जाने हेतु निम्नवत मूल्यांकन किया जायेगा :–

1. प्रत्येक अधिकारी का मूल्यांकन 100 अंकों का होगा जिसका विभाजन निम्नवत् होगा :–

(अ) **प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कार्यों की समीक्षा के आधार पर मूल्यांकनः** इसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा की जायेगी, जिस हेतु 70 अंक निर्धारित किये गये है। वार्षिक कार्य योजना प्रत्येक विभागों को आबंटित कार्यों के आधार पर भिन्न–भिन्न होगी। प्रत्येक कार्य का Weigtage निर्धारित किया जायेगा।

(ब) **सामान्य गुणावगुण के आधार पर मूल्यांकन** :– इसके अन्तर्गत अधिकारी के सामान्य व्यवहार के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा, जिस हेतु 30 अंक निर्धारित किये गये हैं। यह पिटकुल में कार्यरत सभी कार्मिकों के लिए समान होगा। जिसमें कार्मिक की Office punctuality, behaviour and attitude, ownership and belongingness, training/knowledge upgradation, team building capabilities, co-ordination with others, awareness of rules and regulations, documentation and quality and commitment इत्यादि सभी के लिए अलग–अलग अंक निर्धारित करते हुए कुल 30 अंक निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक कार्य का Weigtage निर्धारित किया जायेगा।

2. **प्रत्येक कार्मिक हेतु प्रतिवर्ष एक लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा** तथा उसी के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा। सहायक अभियन्ता हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा, अधिशासी अभियन्ता हेतु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा, अधीक्षण अभियन्ता हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा तथा मुख्य अभियन्ताओं हेतु सम्बन्धित निदेशकों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा। यदि किसी अधिकारी का अगला नियंत्रक अधिकारी नहीं है, तो उससे उच्च अधिकारी उक्त अधिकारी का लक्ष्य निर्धारित करेगा। इसी प्रकार समकक्ष स्तर के अधिकारी अन्य संवर्गो के अधिकारियों के लक्ष्य निर्धारित करेंगें।

3. **कार्मिकों के वार्षिक मूल्यांकन हेतु अंकों का निर्धारण निम्नवत किया जायेगाः– (उदाहरण स्वरूप तालिका निम्नवत् है)**

<u>**प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कार्यों की समीक्षा के आधार पर मूल्यांकनः (उदाहरण स्वरूप)**</u>

S. No.	Performance Indicator	Weightage	Target	Target Achieve	Maximum Marks	Marks Obtained
		A	B	C	D	E
1.	Transmission System Availability	10	90	85	10	08
2.	Capital Work Progress	05	80	85	10	10

क्रमशः..........पेज–3/–

3.	Transmission Losses & sealing of metering system	10	95	95	10	10
4.	System average Interupption Frequency	10	80	75	10	09
5.	Scheduled line maintenance	05	70	60	10	08
6.	Scheduled S/s maintenance	10	80	72	10	08
7.	S/s Visits, monitoring & reporting	10	85	80	10	08
8.	Effectiveness in tender processing	10	90	95	10	10
		70			**80**	**71**

Calculation = (Weightage X Mark Obtained)/ Maximum Marks

= (A * E)/D

Example = 70 * 71/80 = 62.12

<u>सामान्य गुणावगुण के आधार पर मूल्यांकन (उदाहरण स्वरूप)</u>

S. No.	**Performance Indicator**	**Weightage**	**Target**	**Target Achieve**	**Maximum Marks**	**Marks Obtained**
		A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Office Punctuality	**4**	-	-	**5**	3
2.	Behaviour and attitude	**3**	-	-	**5**	3
3.	Ownership and belongingness	**3**	-	-	**5**	3
4.	Training/ Knowledge Upgradation	**4**	-	-	**5**	3
5.	Team Building capabilities	**3**	-	-	**5**	3
6.	Co-ordination with others	**3**	-	-	**5**	4
7.	Awareness of rules & regulations	**3**	-	-	**5**	3
8.	Documentation	**4**	-	-	**5**	4
9.	Quality and commitment	**3**	-	-	**5**	3
		30			**45**	**29**

Calculation = (Weightage X Mark Obtained)/ Maximum Marks

= (A * E)/D

Example = 30* 29/45 = 19.33

Total Marks = 62.12 + 19.33 = 81.45 (Very Good)

क्रमशः..........पेज–4 /–

4. **प्राप्त अंको का वर्गीकरण निम्नवत् किया जायेगा :–**

Excellent (उत्कृष्ट)	=	86 and above
Very Good (अति उत्तम)	=	71 – 85
Good (उत्तम)	=	56 – 70
Satisfied (सन्तोषजनक)	=	41– 55
Unsatisfactory (असन्तोषजनक)	=	40 and below

उपरोक्त उदाहरण तालिका के उपरान्त अंकित उदाहरण के अनुसार उपरोक्त बिन्दु सं0 (अ) (ब) के अनुसार पृथक–पृथक गणना करते हुए दोनो मूल्यांकनों के योग कों क्रम सं0 04 में वर्णित वर्गीकरण के अनुसार किया जायेगा तथा पदोन्नति परिषदादेश संख्या 1327–का.वि.नी./राविप–79/96–14 काविनी/87 दिनांक 11 जुलाई, 1996 एवं समय–समय पर निर्गत संशोधनों में निहित प्राविधानानुसार की जायेंगी।

अतः उपरोक्त KPI (Key Performance Indicator) के आधार पर वर्ष 2018–19 से वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। भविष्य में इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी किये जा सकेंगे।

उपरोक्त मूल्यांकन के आधार के अतिरिक्त अन्य सभी शर्ते पूर्ववर्ती परिषदादेश संख्या 1327–का.वि.नी. /राविप–79/96–14 काविनी/87 दिनांक 11 जुलाई, 1996 एवं समय–समय पर निर्गत संशोधनों में निहित प्राविधान यथावत् रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : १५३८/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ–13 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियनता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.............................।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.............................।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारी, पिटकुल.....................।
6. समस्त सहायक अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारी, पिटकुल...........................।
7. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)